

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 1089/XV, फर्रुखाबाद : दिनांक : जून 23, 2020

विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 03.06.2020 में कम संख्या 26 पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्रांक 5423/ओ0एस0डी0-20 (कोरोना), दिनांकित 12.05.2020 से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद को ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है। कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा प्रेषित सूचना दिनांकित 21.05.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद, वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज एवं लोको स्थित न्यायालय ए0सी0जे0एम0, रेलवे परिसर कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए समस्त न्यायालयों में ओपन कोर्ट व वर्चुअल कोर्ट रूम की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत सुनवाई की गयी।

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, फर्रुखाबाद की आख्या दिनांकित 23.06.2020 के अनुसार इस अधिष्ठान में समस्त न्यायालय व कार्यालय संचालित किये गये, जिनमें शत प्रतिशत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांकित 23.06.2020 के अनुसार न्यायालय खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर की साफ-सफाई व सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का मुख्य द्वार पर थर्मल स्केनर से चेक-अप किया गया तथा उपस्थित सभी लोगों द्वारा सामाजिक दूरी रखकर व मास्क लगाकर कार्य किया गया। आज दिनांक 23.06.2020 को शत प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा कार्य सम्पादित किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट दिनांकित 23.06.2020 के अनुसार जनपद

में दैनिक कोरोना टेस्ट की संख्या 78, कोरोना टेस्ट की कुल संख्या 3661, टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जांच रिपोर्ट की कुल संख्या 3499, अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या 162, पाजिटिव पाये गये मरीजों की संख्या 112, निगेटिव पाये गये मरीजों की संख्या 3390 तथा आज प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 91 है। आख्या की छयाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस अधिष्ठान में दिनांक 23.06.2020 को कुल 78 नवीन वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये तथा कुल 39 प्रार्थना पत्र/वाद निस्तारित हुए, जिनमें से 06 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा तथा 09 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा, कुल 15 प्रार्थना पत्रों/वादों का निस्तारण वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया गया। कुल संस्थित व निस्तारित वादों/प्रार्थना पत्रों में से वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज में कोई नवीन वाद/प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं हुआ और न ही किसी वाद/प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। सम्बन्धित विवरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये वेबलिंग पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

जनपद न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद।
23.06.2020
, 2020

पत्रांक : / , फर्रुखाबाद : दिनांक : जून

प्रतिलिपि :- निजी सचिव/उपनिबन्धक (माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, फर्रुखाबाद परिक्षेत्र), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोपरि।

जनपद न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद।


सेवा में,

MAO जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।

कोरोना वायरस (कोविड-19) सैम्पल दैनिक रिपोर्ट जनपद-फर्रुखाबाद(दिनांक-23.06.2020)

| जनपद का नाम | दैनिक कोरोनाटेस्ट की संख्या | कोरोना टेस्ट की कुल संख्या | टेस्ट के उपरान्त प्राप्त जॉव रिपोर्ट की कुल संख्या | अवशेष कोरोना टेस्ट की संख्या | पॉजिटिव पाये गये गरीजों की संख्या | निगेटिव पाये गये गरीजों की संख्या | आज की प्राप्त रिपोर्ट की संख्या |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| फर्रुखाबाद | 78 | 3661 | 3499 | 162 | 112 | 3390 | 91 |

Comp-
MAO/11/2020


मुख्य विकित्सा अधिकारी
फर्रुखाबाद